

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-147 के अन्तर्गत दिनांक- 08/02/2019 के लिए माननीय अध्यक्ष मंहोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है :-

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04
01.	श्री अशोक कुमार स०वि०स०	<p>गोडा जिला के मेरे विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा घोरीचक-दिघी सङ्क का निर्माण कराया गया है जिसके दिघी गाँव में बीच गाँव होकर सङ्क गुजरती है जो काफी संकीर्ण है। इसके कारण बड़े वाहनों का परिचालन में कठिनाई होती है, साथ ही दुर्घटना की भी संभावनायें बनी रहती हैं।</p> <p>उक्त गाँव के बाहर ग्रामीण विकास विभाग की सङ्क है, जिसे पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत बना देने से यह बायपास सङ्क के रूप में कार्य करेगी एवं बड़े वाहनों का परिचालन सुगमता पूर्वक होने लगेगा। यह पथ पड़ोसी राज्य बिहार को जोड़ती है।</p> <p>अतः व्यापक जनहित में उक्त तथ्यों की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p>	पथ निर्माण
02.	श्रीमती गीता कोङा स०वि०स०	<p>जिला नियोजन, प० सिंहभूम चाईबासा का वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन में कुल 10091 युवक/ युवतियाँ निर्बंधित हैं तथा वर्ष जनवरी 2018 से दिसम्बर, 2018 तक उद्युक्त तीनों नियोजनालयों में कुल 2084 युवक, युवतियाँ निर्बंधित हैं जिनमें से 513 पुलष एवं 32 महिला कुल मिलाकर 545 बेरोजगारों को निजी कंपनियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं।</p>	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण

01.	02.	03.	04.
		<p>अतः बड़ी संख्या में बचे निर्बंधित बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार मुहैया कराने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करती है।</p>	
03.	श्री नागेन्द्र महतो सर्विंसर्व श्री रामकुमार पाहन, सर्विंसर्व	<p>झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड पुलिस अवर निरीक्षक विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन सं 09/2017 में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने से BC-I एवं II के अधिकांशतः पद रिक्त रह गये हैं। इस वर्ग के लिये कट ऑफ मार्क्स ही निर्धारित नहीं किया गया।</p> <p>अतः BC-I के लिये निर्धारित 124 पद एवं BC-II के लिये निर्धारित 93 पद के लिये कट ऑफ मार्क्स तय करते हुए तत्काल नियुक्ति करने तथा मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।</p>	कार्मिक, प्रशासनिक एवं सुधार तथा राजभाषा
04.	श्री कुशवाहा शिवपुजन भेत्ता सर्विंसर्व	<p>पलामू जिला के हरिहरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत सीता +2 उच्च विद्यालय हरिहरगंज में करीब तीन हजार छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं, परन्तु विद्यालय भवन अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण कभी भी भवन गिरने से बड़ी दुर्घटना घट सकती है, साथ ही विद्यालय की चहारदीवारी नहीं होने के कारण आवारा पशु एवं असमाजीक तत्त्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे शांतिपूर्ण पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है। उक्त विद्यालय का निर्माण आजादी पूर्व ही हुआ है।</p> <p>अतः उक्त विद्यालय का भवन निर्माण एवं चहारदीवारी का निर्माण तथा अन्य अधारभूत संरचना कराने की माँग हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करता है।</p>	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

-:::3::-

01.	02.	03.	04
05. डॉ० जीतू चरण राम स०वि०स० प्रो० जयप्रकाश वर्मा स०वि०स०	काँके विधान-सभा क्षेत्रन्तर्गत पिठौरिया के पंचायत राइहा के पंचायत भवन से लेकर कोनकी किसान चौक भाया कतरिया बेड़ा पुस्तुकालीन अदिवासी बहुल क्षेत्र एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जिसमें पथ एवं पुलिया नहीं रहने के कारण पुलिस प्रशासन एवं आमजनों को पैदल चल कर जाना पड़ता है।	ग्रामीण विकास	

राँची
दिनांक- 08 फरवरी, 2019ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- ध्या०एवं अना०प्र०- 01/2019.....1206.....वि०स०, राँची, दिनांक- 07/02/19
प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के मा० सदस्यगण, मा० मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ पथ निर्माण विभाग/ श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)

ज्ञाप सं०- ध्या०एवं अना०प्र०- 01/2019.....1206.....वि०स०, राँची, दिनांक- 07/02/19
प्रति :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।